



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226806
CG-DL-E-30042021-226806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 137]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सं. 3 / 2015–2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 2.108 (ग) (iv) में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/28/एम-19/पीसी-II (ख)/ई-16025.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.108 (ग) (iv) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

मौजूदा पैरा 2.108 (ग) (iv)	संशोधित पैरा 2.108 (ग) (iv)
संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 100/— रु. से अधिक न हो	संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 200/— रु. से अधिक न हो

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: शुल्क प्रति प्रमाण पत्र 100/— रु. से बढ़ाकर 200/— रु. कर दिया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the the 30th April, 2021

No. 3 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.108 (c) (iv) of Handbook of Procedure, 2015-20.

F. No. 01/93/180/28/AM-19/PC.II(B)/E-16025.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 2.108 (c) (iv) of Handbook of Procedure, 2015-20:

Existing Para 2.108 (c) (iv)	Revised Para 2.108 (c) (iv)
Fee not exceeding Rs.100 per certificate as may be prescribed by concerned agency.	Fee not exceeding Rs.200/- per certificate as may be prescribed by concerned agency.

2. Effect of this Public Notice: The fee per certificate enhanced from Rs.100/- to Rs.200/-.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.